समग्र शिक्षा अभियान सेकेन्डरी एजुकेशन, मध्यप्रदेश

(लोक शिक्षण संचालनालय परिसर, गौतम नगर, भोपाल–462023)

दूरभाष : 0755–2761790, ईमेल: <trg.rmsamp@gmail.com>

क्रमांक : सशिअ (सेके.एजु.)/04/ए.भा.श्रे.भा./2023/107 भोपाल, दिनांक 22 अगस्त 2023

प्रति

जिला शिक्षा अधिकारी
सह जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा,
समस्त जिले (म.प्र.)

विषयः–'एक भारत श्रेष्ठ भारत' अंतर्गत वर्ष 2023–24 में शासकीय हाई एवं हायर सेकेन्डरी स्कूलों में विभिन्न गतिविधियाँ आयोजित किये जाने विषयक।

संदर्भः– समग्र शिक्षा अभियान (सेकेण्ड्री) म.प्र. की स्वीकृत कार्य योजना वर्ष 2023–24

-----00-----

भारत के विभिन्न राज्यों में सांस्कृतिक परम्परा, भाषायी, खानपान, भौगोलिक आदि भिन्नतायें है। विभिन्न राज्यों की इन विशिष्टताओं को अंतर्राज्यीय सम्मिश्रण के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा एक भारत श्रेष्ठ भारत अंतर्गत दो राज्यों की आपस में जोड़ी बनाई गयी है। इसके अंतर्गत जोड़ी राज्यो की सांस्कृतिक, भाषायी, खानपान भौगोलिक आदि विशेषताओं को परस्पर समझ हेतु विभिन्न गतिविधियों की जानी है। इस हेतु मणिपुर एवं नागालैंड राज्य के साथ मध्यप्रदेश की जोड़ी बनायी गई है।

(1) उद्देश्य :–

मध्यप्रदेश राज्य के विद्यार्थियों को भारत के अन्य राज्यों की भी जानकारी हो। इस उद्देश्य से मध्यप्रदेश की मणिपुर एवं नागालैंड राज्य के साथ जोड़ी निर्धारित की गई है। इसके अंतर्गत निम्नानुसार गतिविधियाँ की जानी है :–

(2) विषय वस्तु जिन पर गतिविधि की जानी है :–

विद्यार्थियों में उद्देश्य आधारित निम्नलिखित विषयों पर सूचना/जानकारी दी जानी है:–

1. मणिपुर एवं नागालैंड की भाषाओं की वर्णमाला समझ/सीखना।
2. मणिपुर एवं नागालैंड सांस्कृतिक गतिविधियों के तीज त्यौहारों की जानकारी।
3. मणिपुर एवं नागालैंड की महत्वपूर्ण नदियाँ, पहाड़ की जानकारी।
4. मणिपुर एवं नागालैंड बोलचाल, कृषि उत्पादन की जानकारी।
5. मणिपुर एवं नागालैड में प्रचलित महत्वपूर्ण खेल खिलाड़ियों की जानकारी।

(3) गतिविधियों का प्रकारः–

उक्त सभी विषयों पर भाषण, नाटक, वादविवाद, प्रश्नोंत्तरी, पेंटिंग एवं निबंध प्रतियोगिताए आदि आयोजित की जानी है। यह गतिविधियाँ बाल सभा के साथ आयोजित की जा सकती है।

(4) वित्तीय व्यवस्थाः–

इन गतिविधियों में प्रयुक्त की जाने वाली साम्ग्री जैसे:– स्टेशनरी, संबंधित राज्यों का संबंधित साहित्य क्रय या स्थानीय स्तर पर उपलब्ध इन राज्यों से संबंधित निवासी या जानकारी रखने वाले व्यक्तियों को स्कूल में आमंत्रित कर जानकारी दिये जाने हेतु मानदेय एवं पुरुस्कार आदि पर कुल ₹300=00 (तीन सौ रूपये) प्रति स्कूल व्यय का प्रावधान है। राशि 'एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना' अंतर्गत बुक की जायेगी।

(5) प्रतिवेदन :–

जिला अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों में सम्मिलित विद्यार्थियों की चुनिंदा गतिविधियों के कलर फोटोग्राफ्स आदि संख्या का एक संक्षिप्त प्रतिवेदन ई–मेल trg.rmsamp@gmail.com पर उपलब्ध कराया जाये।

–– निरन्तर ––

विभिन्न स्कूलों में संपन्न चुनिंदा गतिविधियों के कलर फोटोग्राफ्स, जिलों में सहभागी विद्यार्थियों की संख्या आदि का एक संक्षिप्त प्रतिवेदन का जिला स्तर पर एक डॉक्यूमेंट मय तैयार किया जाएगा, जिसकी एक प्रति जिला स्तर पर सुरक्षित रखकर एवं एक प्रति राज्य स्तर (लोक शिक्षण संचालनालय परिसर स्थिल कक्ष क्रमांक 131) में जमा की जाए। **सॉफ्ट कॉपी मूल फोटो के साथ विमर्श पोर्टल पर आपके माध्यम से अपलोड की** जायेगी। जिले की गतिविधियां पूर्ण कराकर दिनांक **30 दिसम्बर 2023 तक** कलर डॉक्यूमेंटेशन प्रस्तुत किया जाए।

(6) समय–सीमा :–

गतिविधियों का आयोजन माह अक्टूबर से **दिसम्बर 2023** तक संपन्न किया जाना है। निर्देशानुसार कार्यवाही समयसीमा में सुनिश्चित करायें।

संलग्न :– सुझावात्मक संदर्भ।

(अनुमा श्रीवास्तव) 18/8
आयुक्त
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश
भोपाल, दिनांक 22 अगस्त 2023

पृष्ठा: क्र. सशिअ (सेके.एजु.)/04/ए.भा.श्रे.भा./2022/108

प्रतिलिपि:–

1. विशेष सहायक, माननीय राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जनजातीय कार्य विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
4. आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
5. राज्य परियोजना संचालक, समग्र शिक्षा अभियान सेके. एजु. सह संचालक राज्य शिक्षा केन्द्र मध्यप्रदेश।
6. अपर परियोजना संचालक, समग्र शिक्षा अभियान सेके.एजु. मध्यप्रदेश।
7. कलेक्टर, समस्त जिले, मध्यप्रदेश।
8. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, समस्त जिले, मध्यप्रदेश।
9. सहायक आयुक्त/जिला संयोजक, आदिवासी विकास, जनजातीय कार्य, समस्त जिले, मध्यप्रदेश।
10. जिला शैक्षिक समन्वयक, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, समस्त जिले, मध्यप्रदेश।
11. अतिरिक्त/सहायक जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान (सेके. एजु.), कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, समस्त जिले (म.प्र.) की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु एवं डाक्यूमेंटेशन की हार्ड कॉपी संचालनालय को उपलब्ध कराने एवं बिन्दु 5 अनुसार विमर्श पोर्टल पर अपलोड कराने हेतु।
12. प्राचार्य, समस्त शासकीय हाई एवं हायर सेकेन्डरी स्कूल (उत्कृष्ट एवं मॉडल स्कूल सहित), म.प्र.।

आयुक्त 18/8
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश